जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

**विविध बैंक प्रकरण सं0 26/2018 (RCMS 2018/00037) एयू स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेंन्सर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोछ जयपुर, राजस्थान बनाम 1. श्री मनदीप सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह 228, 3 एस.टी.आर. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 2. श्री करनैलसिंह पुत्र श्री बचन सिंह 3 एस.टी.आर तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 3. श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री बचन सिंह 3 एस.टी.आर, आंशिक, तहसील घडसाना, 4. श्रीमति परमजीत कौर पत्नि श्री करनैल सिंह 228, 3 एस.टी.आर, तहसील घड़साना 5. श्री अग्रैंज सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह वार्ड न.–04, जवाला कॉलोनी, तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर 6. श्री चरणजीत सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह 6–ई छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर**

**31.10.2018**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री जलविन्द्र सिंह भंगू के अधिकार पत्र पर श्री देवेन्द्र सिह संधू, अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा भारत का राजपत्र अधिसूचना, नई दिल्ली दिनांक 05 अगस्त 2016, एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड जिसका पूर्व में नाम एयू. फाईनेसर्स (इंडिया) लि० था, का पंजीकरण प्रमाणपत्र, भारत का राजपत्र अधिसूचना मुम्बई दिनांक 18 सितम्बर, 2017 एवं एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के लाईसेंस संख्या एमयूएम 126 प्रमाण पत्र की प्रतियां दिनांक 25.06.2018 जो कि पूर्व में पेश की जा चुकी है के अनुसार पूर्व में उक्त प्रार्थी बैंक का नाम एयू. फाईनेसर्स (इंडिया) लिमिटेड था जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया। उक्त कम्पनी का नाम अधिसूचना के क्रमांक 40 पर दर्ज है और अब उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप में प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के अनुसार एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक की अनुसूची में शामिल कर लिया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 20 दिसम्बर 2016 को एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का करोबार करने के लिए लाईसेंस प्रदान किया और उक्त प्रार्थी बैंक एयू स्माल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा ऋणीयों मनदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह, करनैलसिंह पुत्र बचनसिंह, हरदीपसिंह पुत्र बचन सिंह, श्रीमति परमजीत कौर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

२६
2018
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर



पत्नि श्री करनैल सिंह, अग्रेंज सिंह पुत्र करनैल सिंह को दिनांक 24.03.2014 को को 7,50,000 / –रूपये (अखरे रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी संख्या 02 करनैल सिंह पुत्र बचन सिंह ने अपनी अचल सम्पत्तिया ग्राम पंचायत चक 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 13 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्तियां क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट एवंम प्रार्थी संख्या 3. हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह की ग्राम पंचायत 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 12 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट** प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी।

अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा निर्धारित की गई शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 11.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीं के नाम दिनांक 29.04.2017 को कुल 7,90,043 / – रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.05.2017 की तामील होने के पश्चात इसके साथ–साथ समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रैस दिनांक 24.05.2017 एवंम पंजाब केसरी समाचार पत्र दिनांक 24.05.2017 में भी को प्रकाशित करवाया गया। उक्त नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी साथ में पेश करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास अप्रार्थी संख्या 02 करनैलसिंह पुत्र बचन सिंह एवंम अप्रार्थी संख्या 3. हरदीपसिंह पुत्र बचनसिंह की बंधक रखी गई उक्त अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड का पूर्व में नाम एयू फाइनेंशर्स (इंडिया) लिमिटेड था जिस पर वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के तहत उक्त कम्पनी को सरफेसी अधिनियम के तहत क्रम संख्या 40 पर वित्तीय संस्था के रूप में घोषित किया गया है और अब MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (GOVERNMENT OF INDIA) के Registrar of Companies, Jaipur द्वारा दिनांक 13.04.2017 को जारी सर्टिफिकेट के अनुसार उक्त एयू फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड का नाम परिवर्तित कर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को बैंक का कारोबार करने के लिए लाईसेंस सं. एमयूएम :126 दिनांक 20.12.2016 प्रदान किया है एवं भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकिंग विनियमन विभाग), मुम्बई की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2017 में एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की दूसरी अनुसूची में शामिल करने के निर्देश दिये है। इसलिए प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड को वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण (ऋणियों) के विरूद्ध कार्रवाई करने की अधिकारिता है।

**पत्रावली के अवलोकन से यह** भी पाया कि उक्त प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मनदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह, करनैलसिंह पुत्र बचनसिंह, हरदीपसिंह पुत्र बचन सिंह, श्रीमति परमजीत कौर पत्नि श्री करनैल सिंह, अग्रेंज सिंह पुत्र करनैल सिंह को दिनांक 24.03.2014 को को 7,50,000 / –रूपये (अखरे रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय सुविधा प्रदान की गई और नियमित ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी संख्या 02 करनैल सिंह पुत्र बचन सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 13 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट एवंम प्रार्थी संख्या 3. हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह की ग्राम पंचायत 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 12 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 फुट प्रार्थी बैंक के पास बधंक रखी।

अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नही किये जाने के कारण अप्रार्थीगण का ऋण खाता दिनांक 11.02.2017 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) घोषित कर दिया गया। अप्रार्थीगण ऋणीयों के नाम से दिनांक 29.04.2017 को कुल 7,90,043 / – रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त बकाया है। अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 04.05.2017 को बकाया राशि एवं इसके बाद की ब्याज राशि व अन्य खर्चे जमा करवाने का दिया गया था। उक्त रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्ति व समाचार पत्र पंजाब केसरी दिनांक 24.05.2017 एवंम इण्डियन एक्सप्रैस दिनांक 24.05.2017 में नोटिस प्रकाशित होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया गया। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ उक्त अधिनियम की धारा 14 में किये गये संशोधन के अनुसार अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर



ऋणीयों द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई ऋणी अप्रार्थी संख्या 02 करनैल सिंह पुत्र बचन सिंह एवंम अप्रार्थी संख्या 03 ऋणी हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह की अचल सम्पत्तियो का भौतिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी **अप्रार्थी संख्या 2. करनैल सिंह पुत्र बचन सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 13 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट एवंम प्रार्थी संख्या 3. हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह की ग्राम पंचायत 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 12 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट** की जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। उक्त बन्धक रखी गई सम्पतिया निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता के क्षेत्राधिकार में स्थित है जिसके सम्बन्ध में निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्यवाही करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस** दिनांक 04.05.2017 की तामील का प्रश्न है, पत्रावली से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी बैंक द्वारा को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस दिनांक 04.05.2017 अप्रार्थीगण मनदीप सिंह, करनैलसिंह , हरदीपसिंह , परमजीत कौर, अग्रेंज सिंह एवंम चरणजीत सिंह (जमानतदार) को रजिस्टर्ड नोटिस डाक से भिजवाये गये है जिसकी पोस्ट ऑफिस की रजिस्ट्रीयों की रसीदे भी शामिल है। जिनकी तामील की पुष्टि स्वरूप करनैलसिंह, मनदीप सिंह, अग्रेंजसिंह, परमजीत कौर की एडी रसीद एवंम हरदीप सिंह के पोस्ट आफिस की डाक वितरण रसीद से होती है तथा जमानतदार चरणजीत सिंह (जमानतदार) का धारा 13(2) नोटिस स्वंय पर तामील हुआ है परिणाम स्वरूप नोटिस पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है। **इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण के नोटिस पंजाब केसरी दिनांक 24.05.2017 एवं इंडियन एक्सप्रैस अख़बार में दिनांक 24.05.2017 को प्रकाशित किये गये है,** जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण ऋणीयों एवं जमानतदार ने धारा 13(2) के नोटिस की तामील के बावजूद भी ऋण की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही धारा 13(2) नोटिस पर कोई आपत्तियां या अभ्यावेदन पेश किया है। इसलिए बंधक रखी गई उक्त्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा को प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी बैंक एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2018 अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थीगण ऋणीयों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

26
2018

A3
8



गई ऋणी **अप्रार्थी संख्या 2. करनैल सिंह पुत्र बचन सिंह की अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत चक 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 13 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट एवंम अप्रार्थी संख्या 3. हरदीप सिंह पुत्र बचन सिंह की ग्राम पंचायत 24ए.एस.सी नई मण्डी, घड़साना, के जारी पट्टा संख्या 12 की चक 3 एसटीआर स्थित आवासीय सम्पत्ति क्षेत्रफल 2021 वर्ग फुट** का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलायें जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्तियों का कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा./-

(ज्ञानाराम)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर